निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1068) पटना, बुधवार, 2 सितम्बर 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त 2026

सं०1/पी.–1001/2026–15418/सा.प्र.—श्रीमती श्रेया श्री, भा.प्र.से. (2022) (सामान्य प्रशासन विभाग, में योगदान देकर प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15419/सा.प्र.—सुश्री गरिमा लोहिया, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15420/सा.प्र.—श्री अनिरूद्ध पाण्डेय, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, पूर्णिया नगर निगम, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15421/सा.प्र.—श्री तुषार कुमार, भा.प्र.से. (2023) अनुमंडल पदाधिकारी, पूणिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15422/सा.प्र.—श्री प्रधुम्न सिंह यादव,भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15423/सा.प्र.—सुश्री आकांक्षा आनंद, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सासाराम, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15424/सा.प्र.—सुश्री अंजली शर्मा, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15425/सा.प्र.—श्री रोहित कर्दम, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15426/सा.प्र.—श्रीमती शिप्रा विजयकुमार चौधरी,भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15427/ सा.प्र.—डॉ0 नेहा कुमारी, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं1/पी.–1001/2026–15428/सा.प्र.—श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(2023) अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक, निबंधन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15429/सा.प्र.—श्री विरूपाक्ष विक्रम सिंह, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15430/सा.प्र.—सुश्री प्रिया रानी, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम,रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15431/सा.प्र.—सुश्री कृष्णा जोशी, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15432सा.प्र.—श्री प्रेम कुमार, भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15433सा.प्र.—श्री सैयद आदिल मोहसीन, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15434सा.प्र.—श्री अजय यादव, भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15435/सा.प्र.—श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15436/सा.प्र.—श्री विग्नेश टी.ए. भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15437सा.प्र.—श्री जतिन कुमार, भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15438/सा.प्र.—श्री के. परीक्षित, भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15439/सा.प्र.—श्री महेश कुमार, भा.प्र.से. (2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/पी.–1001/2026–15440/सा.प्र.—श्रीमती कशिश बक्शी, भा.प्र.से.(2024) (व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–II की समाप्ति पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से दिनांक 21.08.2026 से विरमित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए पदाधिकारियों को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा–163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1068-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in